

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 995 / 14

संस्थापन दिनांक:-20 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504001912014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. अविनाश पिता टिटू चंदेलकर, उम्र 25 वर्ष
2. चन्द्रकला पति देवीदास चंदेलकर, उम्र 35 वर्ष
 दोनों निवासी देवगांव, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 अथवा 324 / 34 (दो काउंट में) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.07.2014 को शाम करीब 07:30 बजे थाना आमला से 07 किमी. पूर्व में ग्राम देवगांव स्थित फरियादी के घर के पास फरियादी प्रतीक्षा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी प्रतीक्षा एवं आहत दीक्षा को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2014 को शाम 07:30 बजे फरियादी की मां अनिता का उनकी पड़ोसन चंद्रकला के साथ पानी निकालने की बात से से वाद विवाद हो रहा था। तभी चंद्रकला से फरियादी और उसकी बहन दीक्षा ने कहा कि गाली क्यों दे रही हो तो इसी बात पर से अभियुक्तगण ने गुस्से में आकर फरियादी एवं उसकी बहन को मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी तथा उनके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने फरियादी एवं उसकी बहन के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट तथा दाहिने हाथ में काटा जिससे उसे दाहिने हाथ, बांये पैर एवं उसकी बहन को दाहिने हाथ में चोट आयी। अभियुक्तगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 522 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 अथवा 324/34(दो काउंट में) भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण का लिखित में परीक्षण न किया जाकर धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने आप को निर्दोष होना प्रकट किया।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.07.2014 को शाम करीब 07:30 बजे थाना आमला से 07 किमी. पूर्व में ग्राम देवगांव स्थित फरियादी के घर के पास फरियादी प्रतीक्षा को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी प्रतीक्षा एवं आहत दीक्षा को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 प्रतीक्षा (अ.सा.-1) एवं दीक्षा (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दो वर्ष पुरानी होकर ग्राम देवठान स्थित उनके घर के पास की रात्रि 7.30 बजे की है। घटना के पूर्व से ही अभियुक्त चंद्रकला से उनकी मां एवं उनके परिवार का नाली के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर चंद्रकला बाई उनकी मां से बहस कर रही थी। जिस पर उन्होंने अभियुक्त चंद्रकलाबाई से बोला कि बहस क्यों कर रही हो इसी बात को लेकर दोनों अभियुक्तगण ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी एवं हाथ थप्पड़ से उनके साथ मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटें आयी थीं। साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। साक्षी प्रतीक्षा (अ.सा.-1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना आमला में की थी जो (प्रदर्श प्री-1) है तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7 प्रतीक्षा (अ.सा.-1) एवं दीक्षा (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ गाली गलौच कर हाथ थप्पड़ से मारपीट की जाना बताया है परंतु साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा उन्हें हाथ में दांत से काटकर चोट पहुंचाये जाने की बात को गलत बताया है।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ गाली गलौच कर हाथ थप्पड़ से मारपीट की जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा दांत से काटकर फरियादी एवं आहत को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण द्वारा धारा 324 अथवा 324/34(दो काउंट में) भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी प्रतीक्षा एवं दीक्षा को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण अविनाश एवं चन्द्रकला को धारा 324 अथवा 324/34(दो काउंट में) भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)